

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17



13

अध्याय

कल्याण उपाय

कल्याण उपाय

कोयला खनन का परम्परागत जीवनशैली और क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने इस विश्वास को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया है कि खनन क्षेत्रों में रह रहे लोग खान विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकधारक हैं और क्षेत्र विकास हेतु विभिन्न कार्यकलाप करते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अधिदेश के भाग के रूप में सीआईएल तथा इसकी सहायक कम्पनियों कोल्फील्ड क्षेत्रों तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों को कर रही हैं।
- स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, स्कूल भवनों का निर्माण, चेक बांधों, ग्रामीण सड़कों, सम्पर्क सड़कों और पुलियों, औषधालयों और अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों आदि जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन।
- स्वास्थ्य शिविरों, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण शिविरों, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविरों, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन, सामाजिक वन्धीकरण आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक कार्यकलाप।

विकलांगता अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

1996-97 से समूह 'ग' तथा 'घ' की नियुक्ति में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

वर्ष	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	आरक्षण कोटा के अधीन भरे गए पदों की संख्या		
		वी एच	एच एच	ओ एच
1996-97 से 01.01.2017	9599	50	15	82

वीएच = दृष्टि अपंगता

एचएच = श्रवण अपंगता

ओएच = शारीरिक अपंगता

1.1.2017 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सीआईएल में दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण:

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ईसीएल	64801	7	16	35
बीसीसीएल	51860	42	18	75
सीसीएल	42725	26	10	41
डब्ल्यूसीएल	47791	13	11	68
एसईसीएल	62255	21	5	104
एमसीएल	22258	26	14	75
एनसीएल	15578	10	2	46
एनईसी	1743	0	0	1
सीएमपीडीआई	3562	3	2	23
डीसीसी	391	0	0	0
सीआईएल (मुख्यालय)	865	1	0	1
कुल सीआईएल	313829	149	78	469

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

कंपनी अखिल भारतीय आधार पर चयन तथा देश में कैम्पस चयन के माध्यम से विभिन्न राज्यों के लोगों की भर्ती करके कर्मचारियों की विभिन्नता में समरूपता कायम करने का प्रयास करती है। इस प्रकार, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आरक्षण प्रदान करती है।

समूह क तथा ख पदों के लिए	सीधी भर्ती			पदोन्नति		
	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.वर्ग	समूह क,ख,ग तथा घ के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति
अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता टेस्ट (लिखित) द्वारा	15%	7.5%	27%	अखिल भारत	15%	7.5%
अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता टेस्ट (लिखित) के अन्यथा	16.66%	7.5%	शेष 50% तक सीमित			

उपर्युक्त के अलावाए समूह ग तथा घ पदों की भर्ती के लिए आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं जहां राज्यवार आरक्षण मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।

सहायक कंपनी-वार / कंपनी-वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

राज्य	कंपनी	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
झारखंड	बीसीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीएमपीडीआईएल	12	26	12
प.बंगाल	ईसीएल	23	5	22
प.बंगाल	सीआईएल, कोलकाता	23	5	22
ओडिशा	एमसीएल	16	22	12
मध्य प्रदेश	एनसीएल	15	20	15
छत्तीसगढ़	एसईसीएल	12	32	6
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	10	9	27
असम	एनईसी	7	12	27

1.1.2017 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सीआईएल में समूह-वार जनशक्ति के साथ-साथ अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
क	15677	12.06	4.8	14.01
ख	19442	11.55	6.95	22.12
ग	165872	22.98	12.72	28.22
घ (सफाईवालों को छोड़कर)	108982	21.02	14.04	20.08
घ (सफाईवाला)	3856	88.28	1.34	6.35
कुल	313829	21.57	12.54	22.75